



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

क्रमांक : 006/Estt./2010/05/Vol.VI/1744

दिनांक : 28.11.2019

सूचना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (म.गां.अं.हिं.वि.), वर्धा के विज्ञापन संख्या म.गां.अं.हिं.वि./08/2019 दिनांक 05.09.2019 के अंतर्गत विज्ञापित जिन पदों के लिए साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की गयी है, उन पदों से संबंधित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.hindivishwa.org) पर यथासमय जारी की जाएगी।

कुलसचिव

प्रति:

1. कुलपति कार्यालय
2. सहायक कुलसचिव (स्थापना)
3. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।